राजस्थान सरकार
गृह(ग्रुप–13)विभाग

क्रमांकः प. 6(18)गृह–13/2007पार्ट जयपुर, दिनांकः06.04.2021

समस्त जिला कलक्टर,
उपायुक्त/पुलिस अधीक्षक

राजस्थान

विषयः–बाल विवाह के अक्षय–तृतीया (आखातीज) दिनांक 14.05.2021, पीपल पूर्णिमा दिनांक 26.05.2021 एवं अन्य अवसरों पर होने वाले आयोजनों की प्रभावी रोकथाम हेतु।

जैसा कि आपको विदित है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 अनुसार बाल विवाह अपराध है। इस वर्ष अक्षय–तृतीया (आखातीज) का पर्व दिनांक 14.05.2021 को है एवं इसके उपरान्त पीपल पूर्णिमा दिनांक 26.05.2021 का पर्व भी आने वाला है। इन दिनों तथा अबूझ सावों पर विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाहों के आयोजन की संभावनाएं रहती हैं।

गत वर्षो की भांति बाल विवाह के प्रभावी रोकथाम के लिए ग्राम एवं तहसील स्तर पर पदस्थापित विभिन्न विभागों के कर्मचारियों/अधिकारियों तथा जन प्रतिनिधियों (वृत्ताधिकारियों, थानाधिकारियों, पटवारियों भू–अभिलेख निरीक्षकों, ग्राम पंचायत सदस्यों, ग्रामसेवकों, कृषि पयवेक्षकों, महिला एवं बाल विकास के परियोजना अधिकारियों, पर्यवेक्षकों, आगंनबाडी कार्यकर्त्ताओं, शिक्षकों, नगर निकाय के कर्मचारियों, जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों, सरपंचों तथा वार्ड पंचों) के माध्यम से बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के प्रावधानों का व्यापक प्रचार–प्रसार कर, आमजन को जानकारी कराते हुए जन जागृति उत्पन्न कर, बाल विवाह रोके जाने के लिए कार्यवाही की जावे।

बाल विवाह रोकने के लिए समाज की मानसिकता एवं सोच में सकारात्मक परिवर्तन लाना आवश्यक है इस संदर्भ में बाल विवाह की रोकथाम हेतु जनसहभागिता व चेतना जागृत करने हेतु कार्ययोजना बनाकर कार्य किया जाना आवश्यक है। प्रभावी कार्य योजना हेतु महत्वपूर्ण बिन्दू निम्न प्रकार हैः–

Scanned with CamScanner

1. जिला व ब्लॉक स्तर पर गठित विभिन्न सहायता समूह, महिला समूह, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आंगनबाडी कार्यकर्ता, साधिन सहयोगिनी के कोरग्रुप को सक्रिय किया जाये।
2. ऐसे व्यक्ति व समुदाय जो विवाह सम्पन्न कराने में सहयोगी होते हैं यथा हलवाई, बैण्डबाजा, पंडित, बाराती, टेंटवाले, ट्रांसपोर्टर इत्यादि से बाल विवाह में सहयोग न करने का आश्वासन लेना और उन्हें कानून की जानकारी देना।
3. जनप्रतिनिधियों व प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ चेतना बैठकों का आयोजन करवाना।
4. ग्राम सभाओं में सामुहिक रूप से बालविवाह के दुष्प्रभावों की चर्चा करना व रोकथाम की कार्यवाही करना।
5. बाल विवाह रोकथाम हेतु किशोरियों, महिला समूहों, स्वयं सहायता समूहों व विभिन्न विभागों के कार्यकर्ता जैसे-स्वास्थ्य, वन, कृषि, समाजकल्याण, शिक्षा विभाग इत्यादि के साथ समन्वय बैठक आयोजित की जावे तथा इनके कार्मिकों को बाल विवाह होने पर निकट के पुलिस स्टेशन में सूचना देने हेतु पाबन्द किया जाये।
6. विवाह हेतु छपने वाले निमंत्रण पत्र में वर-वधु के आयु का प्रमाण प्रिन्टिग प्रेस वालों के पास रहे अथवा निमंत्रण पत्र पर वर-वधु की जन्म तारीख प्रिन्ट किये जाने हेतु बल दिया जावे।
7. इस हेतु जिला एवं उप खण्ड कार्यालयों में नियंत्रण कक्ष स्थापित किये जावें जो 24 घण्टे क्रियाशील रहेगें तथा नियंत्रण कक्ष का दूरभाष नं. सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा किया जावे।
8. विद्यालयों में बाल-विवाह के दुष्परिणामों व इससे संबंधित विधिक प्रावधानों की जानकारी दिये जाने हेतु सभी स्कूलों को निर्देशित किया जावे।
9. सामूहिक चर्चा से मिली जानकारी के आधार पर गांव/मौहल्लों के उन परिवारों में जहाँ बाल विवाह होने की आशंका हो, समन्वित रूप से समझाया जाये। यदि आवश्यक हो तो, कानून द्वारा बाल विवाह को रोका जावे।

समस्त जिला कलक्टर एवं जिला पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया जाता है, कि वे बाल विवाहों की रोकथाम के संबंध में अपने-अपने क्षेत्रों में समुचित कार्यवाही सुनिश्चित करें एवं सूचना प्राप्त होने पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के तहत कानूनी कार्यवाही की जावे।

बाल विवाहों के आयोजन किये जाने की स्थिति में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 की धारा-6 की उप धारा 16 के तहत नियुक्त "बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों" (उप खण्ड मजिस्ट्रेट) की जवाबदेही नियत की जावे एवं जिनके क्षेत्रों में बाल विवाह सम्पन्न होने की घटना होती है, उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे।

Scanned with CamScanner

बाल विवाह जैसी सामाजिक-कुरीति को रोकने के लिये इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें और की गयी कार्यवाही महिला एवं बाल विकास विभाग को भिजवाते हुए इस विभाग को भी यथासमय प्रेषित करावें।

भवनिष्ठ

(अभय कुमार)
प्रमुख शासन सचिव, गृह

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. श्रीमान् सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,जयपुर।
2. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
4. समस्त महानिरीक्षक पुलिस रेंज, राजस्थान।

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. अति. मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग,राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. **आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग राजस्थान, जयपुर को व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु।**
8. आयुक्त, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. विशिष्ठ शासन सचिव, गृह (विधि) विभाग।
10. सम्बन्धित विभाग.....।

(राजेन्द्र सिंह तंवर)
संयुक्त शासन सचिव

Scanned with CamScanner